रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2642] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937
No. 2642] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3328(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी 14^{0}43' 12" और उत्तरी अक्षांश 14^{0}28' 12" और पूर्वी 78^{0} 48' 00" और पूर्वी देशान्तर 79° 01' 48" के बीच स्थित कडुपा ज़िले के दक्षिण पहाड़ियों में लंकामलाई की पहाड़ी श्रृंखलाओं में आंध्र प्रदेश राज्य के कडुपा ज़िले (कडुपा और प्रोदोतूर वन प्रभाग) में स्थित है और लंकामल्ला आरक्षित वन वन्यजीव अभयारण्य गठित करता है तथा अभयारण्य का कुल क्षेत्र 464.42 वर्ग किलोमीटर है ।

और, श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य अधिकांश संकटापन्न के लिए सिर्फ एक केंद्र है और जेर्डोन डबल बैंडिज कोउरसर, विश्व में न्यूनतम ज्ञात पक्षी है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थानीय है और अभयारण्य में तेंदुआ, सांभर, चीतल, चोऊसींगा और अनेक सरीसृप और पक्षी प्रजातियां भी बसी हुई है।

और, क्षेत्र में अत्यंत उर्वर प्राणीजातीय एवं वनस्पतीय विविधता है और रेड सेंडरस (पीटरोकारपस संटालीनस) की बृहत् जीवसंख्या, जो इस क्षेत्र में स्थानीय है।

और, श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में मुख्यतः दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती विविध प्रकार 5 ए / सी 3 जैसा पीटरोकरपस संटालीनस, अनोगेइसस स्पा., कारीस्सा कारानदस जीजयफस एक्सलोफाइसेस, डोडोनाइया बीसकोसा, मैटनस इमरगीनाटा, डियोफाइरोस कालोरोएक्सलोन, हार्डविकीया बीनाटा, टारेना एशियाटिका और डियोफाइरोस फेररिया इस तरह की चैंपियन और सेठ वर्गीकरण में प्रजातियां पाई जाती है।

और, अभयारण्य में जलग्रहण के लिए मुख्य जल निकास का रूप है जो संपूर्ण रिजर्व के ऊपर बहुसंख्यक धारा प्रवाहित होकर पेन्नार नदी से जोड़ती है और अभयारण्य में ऐतिहासिक समय के दौरान बने अनेक सदानीर जल स्त्रोत और मानव निर्मित टैंक भी है।

और, श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक क्षेत्र का है और इसमें कडुपा जिले के 16 ग्राम सम्मिलित हैं।

(2) ग्रामों की सूची इसके निर्देशांकों के साथ **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) नगर विकास ;
(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
(ix) सिंचाई; और
(x) लोक निर्माण विभाग

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकजन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 21, 26, 31, और 34 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना और नई सड़कों का सन्निर्माण;

(ii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iii) वर्षा जल संचय; और

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण दस्तकार हैं |

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक स्रोत** –आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे |

(3) **पर्यटन** – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, आध्रं प्रदेश सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा ;

(ii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ. 630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) यानीय परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां –**किसी औद्योगिक इकाई के किसी नए स्थापन की कोई अनुज्ञा पारिस्थितिक संवेदी जोन में नहीं दी जाएगी |

(13) प्लास्टिक का उपयोग – पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर प्लास्टिक लेमिनेशन और टेट्रा पैक के उपयोग को इस अधिसूचना में वर्णित क्रियाकलापों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाईयां ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक

		घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	नए वृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
8.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
9.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर किसी नए काष्ट आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परन्तु विद्यमान काष्ट आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया जाता है ।
10.	बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस और अन्य वाणिज्यिक कृषि/और वानिकी उद्यमों के स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
11.	बड़े पैमाने वाले वाणिज्यिक पशुधन, मुर्गी पालन फार्म का स्थापन ।	स्थानीय किसानों की अनुज्ञा द्वारा ।
12.	पर्यटकों, वाणिज्यिक होटलों द्वारा प्लास्टिक थैलों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
13.	रेल, भूमिगत पाइपलाइन और रोप-वे ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
14.	होटल और विश्राम स्थलों का स्थापन ।	प्रारुप अधिसूचना की तारीख को पहले ही विद्यमान स्थापनों के सिवाए पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषेध । तथापि विद्यमान वाणिज्यिक पर्यटन स्थापनों का विस्तार पर्यावरण और वन मंत्रालय (डब्ल्यू एल प्रभाग नई दिल्ली द्वारा फाइल सं. 610/211 द्वारा डब्ल्यू

		एल तारीख 15.03.2011) द्वारा जारी " वन्यजीव आवासों में गैर-वानिकी क्रियाकलाप करने के लिए मार्ग निर्देशन सिद्धांत" और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार कड़ाई से विनियमित किया जाए।
15.	प्राकृतिक जल स्त्रोंत जिसके अंतर्गत खनिज जल संयंत्र, वातित ड्रिंक बोतल बनाने का संयंत्र, आदि है, के लिए भूमिगत जल संचयन के लिए वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
16.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
17.	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों के विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा। (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन सन्निर्माण के विस्तार तक एक किलोमीटर परे सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनुज्ञा दे जाएगी और अन्य सन्निर्माण क्रियाकलापों का विवरण आंचलिक महायोजना के अनुसार किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होगा।
18.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना अनुदेशों का पालन किया जाएगा।
19.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	(क) पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण के अधीन रहते हुए 11 किलोवाट तक उच्च विद्युत पारेषण लाइन का लगाया जाना। (ख) भूमिगत केबलिंग के संवर्धन।
20.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
22.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या

	उपचारित बहिर्स्राव ठोस अपशिष्ट का निस्सारण।	ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
25.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
27.	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वायु (जिसके अन्तर्गत ध्वनि है) और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	कृषि प्रणाली में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	तथापि, इनमें से कुछ क्रियाकलापों का अत्यधिक विस्तार महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाए।
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग|	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए|

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	जिला कलक्टर, कडप्पा	अध्यक्ष
(ख)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ग)	आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ	सदस्य
(घ)	क्षेत्रीय अधिकारी, आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	सदस्य
(ड.)	नगरपालिका आयुक्त अथवा उसका प्रतिनिधि, कड्डपा शहर	सदस्य
(च)	प्रभागीय वन अधिकारी, प्रोदोत्तर वन्यजीव प्रभाग	सदस्य
(छ)	पर्यावरण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ज)	शहरी विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(झ)	उप वन संरक्षक/प्रभागीय वन अधिकारी, कडप्पा संभाग	सदस्य-सचिव

6. निर्देश शर्तें

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध III** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[एफ. सं. 25/8/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची

श्रीलंकामालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 0-1 कि.मी. त्रिज्या के बीच स्थित ग्रामों और शहरी निवास/व्यवस्था की सूची

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर	गांव के नाम
1	14.66740	79.02466	कोथुरु
2	14.66885	78.99359	कोथाचेरुवु
3	14.49514	79.06058	इगुवापल्ली
4	14.49202	79.05880	कृशनायगरिपाल
5	14.48459	79.06300	बयाक्कागरीपल्ली
6	14.46406	79.07021	दिगुवाचानदुवायी
7	14.45962	79.02784	वेलुगुपल्ली
8	14.46787	78.96799	सिद्दावातम
9	14.46913	78.98217	कम्मापालेम
10	14.46717	78.99601	जनगालापल्ली
11	14.47115	78.94943	राजमपेटा
12	14.49836	78.90694	गोल्लापल्ली
13	14.50488	78.90204	छेलामरेड्डीपाल
14	14.58652	78.81198	चीनी कारखाना
15	14.64296	78.79814	नगपाटनाम
16	14.72223	78.94585	अगरहाराम

उपाबंध II

निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

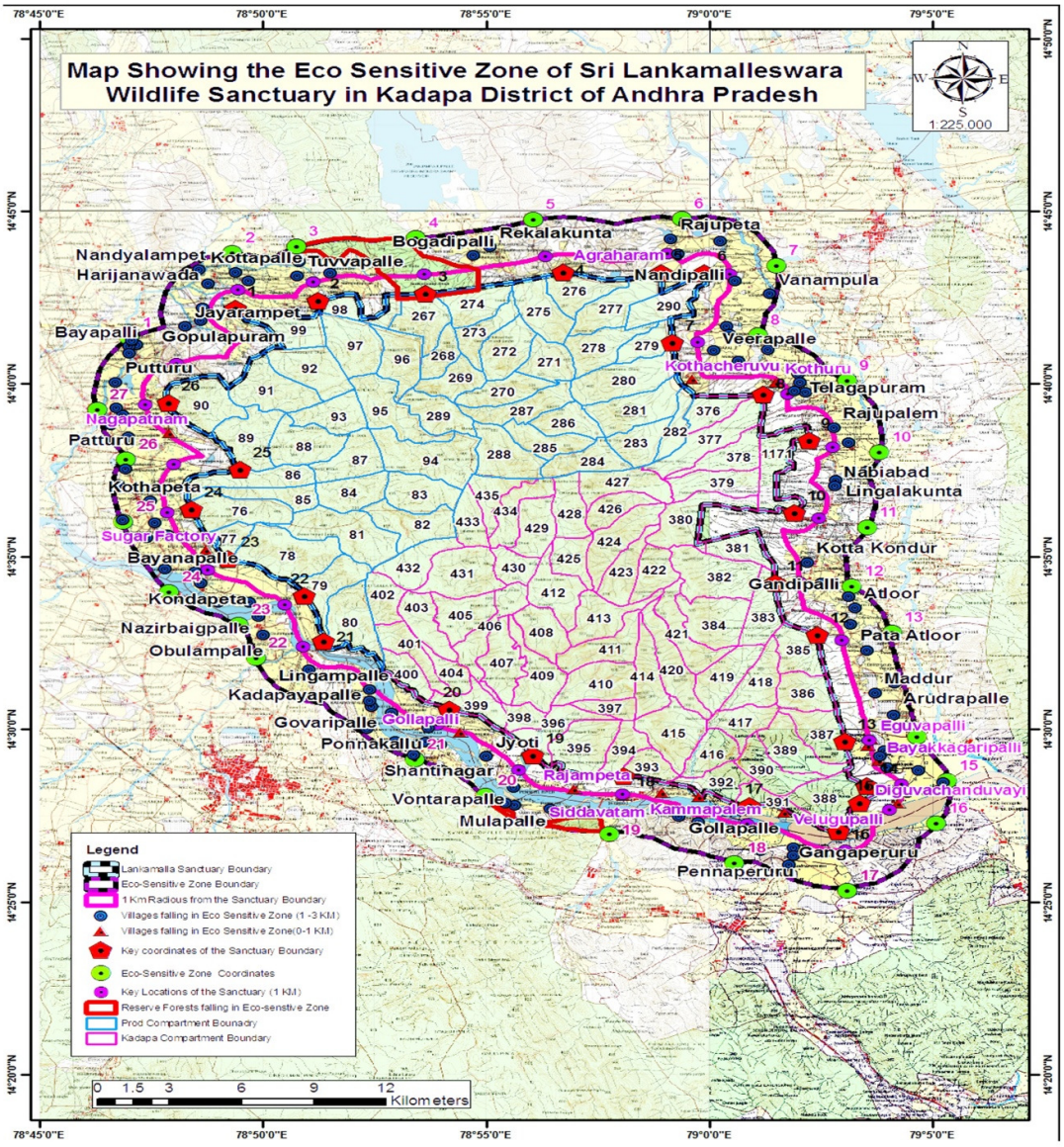

अभयारण्य सीमा से 0-1 कि.मी. त्रिज्या के निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशान्तर
1	14.67649	78.80093
2	14.71216	78.82396
3	14.71588	78.85220
4	14.71959	78.89356
5	14.72826	78.93864
6	14.72950	78.98421
7	14.71959	79.00774
8	14.68690	78.99561
9	14.66163	79.02929
10	14.63612	79.04589
11	14.60169	79.04093
12	14.57098	79.03375
13	14.54299	79.04936
14	14.49469	79.05976
15	14.47339	79.07165
16	14.46101	79.06719
17	14.44169	79.05059
18	14.45407	79.01418
19	14.46844	78.96762
20	14.48033	78.92873
21	14.50212	78.89827
22	14.53977	78.84823
23	14.56008	78.84130
24	14.57692	78.81282
25	14.60442	78.79771
26	14.62795	78.79994
27	14.65668	78.78928

उपाबंध III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2015

S.O. 3328(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary is located in the Kadapa District (Kadapa and Proddatur Forest Divisions) of Andhra Pradesh State being the hill ranges of Lankamallai in the Deccan Plateau of Kadapa District, situated in between 14° 43' 12" North and 14° 28' 12" North Latitudes, 78°48' 00" East and 79° 01' 48" East Longitudes and the Lankamalla Reserve Forest constitute the wildlife Sanctuary and the total area of the Sanctuary is 464.42 square kilometer;

AND WHEREAS, the Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary is the only home for one of the most endangered and least known birds in the World, the Jerdon's Double Banded Courser, which is endemic to the State of Andhra Pradesh and the Sanctuary is also inhabited by Leopard, Sambar, Cheetal, Dhole, Chousingha and many reptilian and bird species;

AND WHEREAS, the area has very rich Faunal and Floral diversity and has the largest population of Red sanders (P*terocarpus santallinus* which is endemic to the region;

AND WHEREAS, the Sri Lankamalleswara Wildlife Sanctuary has mostly Southern Tropical dry deciduous Miscellaneous Type 5A/C3 as per Champion and Seth classification having species such as *Pterocarpus santallinus,* Anogeissus sp., *Carrissa carrandas*, *Zizyphus xylophyros*, *Dodonaea viscosa*, *Maytenus emerginata*, *Diospyros chloroxylon*, *Hardwickia binata*, *Tarenna asiatica*, and *Diospyros ferrea*;

AND WHEREAS, numerous streams flowing over the entire reserve join river Pennar which forms the main drainage for the catchments in the Sanctuary and that the Sanctuary has many perennial springs and manmade tanks constructed during historical times;.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Lankamalleswara Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processed in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of one kilometers from the boundary of Lankamalleswara Wildlife Sanctuary in the State of Andhra Pradesh, as the Lankamalleswara Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The extent of Eco-sensitive Zone is one kilometer from the boundary of Lankamalleswara Wildlife Sanctuary and includes 16 villages in Kadapa District.

(2) The list of villages along with their coordinates is given at **Annexure-I.**

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended with this notification as **Annexure II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(ix) State Pollution Control Board;
(x) Irrigation; and
(xi) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 21, 26, 31 and 34 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) Small scale industries not causing pollution;
(iii) Rainwater harvesting; and
(iv) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Andhra Pradesh .

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units** No new establishment of any industrial unit shall be permitted in the Eco- sensitive zone.

(13) **Use of plastics:** The use of plastics laminates and tetra-packs within the Eco-sensitive zone shall be regulated as per the activities mentioned in this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying, crushing units.	(a) Commercial mining (minor and major minerals), stone quarrying, crushing units shall be prohibited within one km from the boundary of the Protected Area. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No New or expansion of existing polluting industries shall be permitted in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue as per law.
10	Establishment of large –scale green houses and other commercial agricultural/ horticultural ventures.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11	Establishment of large –scale commercial livestock poultry farms.	By the local farmers permitted.
12	Use of Polythene bags by tourists, commercial hotels - and resorts	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
13	Railways, Underground pipelines and Rope ways.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
14	Establishment of hotels and resorts.	Prohibited in the Eco-sensitive zone except the already existing establishments as on the date of draft notification. However, expansion of the existing Commercial tourism establishments is to be regulated strictly in accordance with "The guidelines for taking non forestry activities in Wild life habitats" issued vide F.No.610/2011 WL dated 15-03-2011 by the Ministry of Environment and Forest (WL Division), New Delhi and National Tiger Conservation Authority guidelines.
15	Commercial use of natural water resources including ground water harvesting for commercial mineral water plants, aerated drinks bottling plants, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
16	Introduction of Exotic Species.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
17	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within One Kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Construction activity in the ESZ shall be as per Zonal Master Plan.
18	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.

19	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(a) Erection of High Tension Power Transmission Lines up to 11 KV subject to environmental impact assessment. (b) Promote underground cabling.
20	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
21	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
23	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
25	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment.
27	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
28	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
29	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
30	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per the master plan.
31	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.

5. Monitoring Committee:- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(a) District Collector, Kadappa – Chairman.

(b) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for a term of one year in each case – Member.

(c) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for a term of one year in each case – Member.

(d) Regional Officer, State Pollution Control Board – Member.

(e) Municipal Commissioner or his representative of Kadappa Town – Member.

(f) The Divisional Forest Officer, Proddator Wildlife Division – Member.

(g) Representative of the Department of Environment, Government of Andhra Pradesh – Member.

(h) Representative of the Department of Urban Development, Government of Andhra Pradesh – Member.

(i) Deputy Conservator of Forests/ Divisional Forest Officer, Kadappa Division – Member Secretary.

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure III**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/8/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

List of villages and Urban habitations / Settlements located between 0 - 1 Km radius from the boundary of Sri Lankamalleswara Widlife Sanctuary

Sl. No.	Latitude	Longitude	Village Name
1	14.66740	79.02466	Kothuru
2	14.66885	78.99359	Kothacheruvu
3	14.49514	79.06058	Eguvapalli
4	14.49202	79.05880	Krishnayagaripal
5	14.48459	79.06300	Bayakkagaripalli
6	14.46406	79.07021	Diguvachanduvayi
7	14.45962	79.02784	Velugupalli
8	14.46787	78.96799	Siddavatam
9	14.46913	78.98217	Kammapalem
10	14.46717	78.99601	Jangalapalli
11	14.47115	78.94943	Rajampeta
12	14.49836	78.90694	Gollapalli
13	14.50488	78.90204	Chelamareddypall
14	14.58652	78.81198	Sugar Factory
15	14.64296	78.79814	Nagapatnam
16	14.72223	78.94585	Agraharam

Annexure-II

Map showing the boundaries of the Eco-sensitive zone along with coordinates

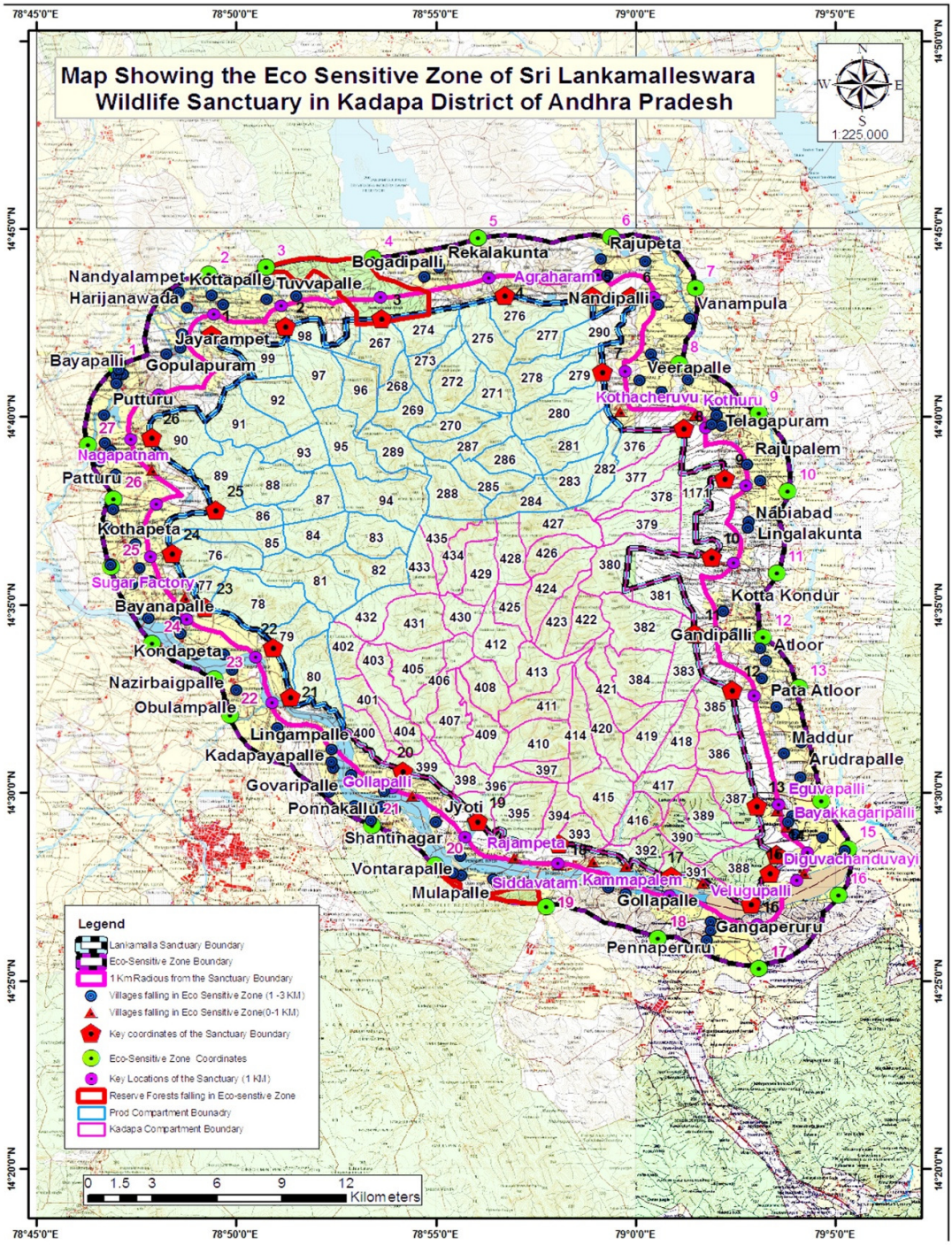

Co-ordinates of 0-1 Km radius from the Sanctuary Boundary

Sl. No.	Latitude	Longitude
1	14.67649	78.80093
2	14.71216	78.82396
3	14.71588	78.85220
4	14.71959	78.89356
5	14.72826	78.93864
6	14.72950	78.98421
7	14.71959	79.00774
8	14.68690	78.99561
9	14.66163	79.02929
10	14.63612	79.04589
11	14.60169	79.04093
12	14.57098	79.03375
13	14.54299	79.04936
14	14.49469	79.05976
15	14.47339	79.07165
16	14.46101	79.06719
17	14.44169	79.05059
18	14.45407	79.01418
19	14.46844	78.96762
20	14.48033	78.92873
21	14.50212	78.89827
22	14.53977	78.84823
23	14.56008	78.84130
24	14.57692	78.81282
25	14.60442	78.79771
26	14.62795	78.79994
27	14.65668	78.78928

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.